न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सैन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 56/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/155

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
रामलाल जाट, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचमान।		श्री कुलदीप शर्मा पुत्र श्री सीताराम निवासी बांसा तहसील डीडवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्।

उपस्थितः–
1. प्रवर्तन निरीक्षक प्रार्थी की ओर से
2. श्री हरफुल राव वकील अप्रार्थी की ओर से

–:आदेशः– **दिनांकः 04.11.2024**

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी डीडवाना द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1) खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध गैस के अवैध भण्डारण/व्यापार/दुरूपयोग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 23.09.2024 को श्री रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक, श्री ओमेन्द्रकुमार प्रवर्तन निरीक्षक एवं सुश्री मनीषा गुर्जर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा ग्राम बांसा स्थित श्री कुलदीप शर्मा के घर पर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। मौके पर श्री कुलदीप शर्मा उपस्थित मिलें, जिन्होनें दुकान का निरीक्षण करवाया। मौके पर घर में 25 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर भण्डारण किये हुए पाये गये। श्री कुलदीप शर्मा से घरेलू गैस के भण्डारण एवं विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर अपने बयानों में बताया कि उक्त सिलेण्डर ग्राम वासियों के है जो मेरे घर पर छोड़ जाते है और गैस एजेन्सी से आपूर्ति होने पर ले जाते है। मौके पर श्री कुलदीप शर्मा के पास किसी भी उपभोक्ता की डायरी व अन्य दस्तावेज नहीं होने से भण्डारित/दुरूपयोग किये गये 25 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर व गैस को अवैध मानते हए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सामग्री का विवरण निम्नानुसर हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:24:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1.	इण्डेन	738902–P	0
2.	इण्डेन	298339– J	0
3.	इण्डेन	010850– S	0
4.	इण्डेन	040557– S	0
5.	इण्डेन	049264– S	0
6.	इण्डेन	325408	0
7.	इण्डेन	760247– S	0
8.	इण्डेन	762342– S	0
9.	इण्डेन	857397	0
10.	इण्डेन	239218– S	0
11.	इण्डेन	625456– S	0
12.	इण्डेन	401358– S	0
13.	इण्डेन	639957– S	0
14.	इण्डेन	573270– S	0
15.	इण्डेन	910671	0
16.	इण्डेन	304697	0
17.	इण्डेन	376988	0
18.	इण्डेन	93942	0
19.	इण्डेन	428969	0
20.	इण्डेन	288954	0
21.	इण्डेन	333178– S	14.2 किग्रा
22.	इण्डेन	810824	14.2 किग्रा
23.	इण्डेन	501311	14.2 किग्रा
24.	इण्डेन	130372	14.2 किग्रा
25.	इण्डेन	167320	14.2 किग्रा

उपरोक्त 25 घरेलू रसोई गैस को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स मौलासर इण्डेन गैस मौलासर के प्रतिनिधि श्री अनुपसिंह की सुपुर्दगी में दिय गये।

इस प्रकार श्री कुलदीप शर्मा का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 25 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया। [illegible] अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री हरफुल राव ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया किया अप्रार्थी का रहवासी मकान [illegible] ही अवस्थित है मेरा मकान व खुली जायगा ग्राम बासा की आबादी के मध्य अवस्थित होने के कारण गांव वाले अपनी सुविधा के अनुसार अपने–अपने खाली गैस सिलेण्डर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:24:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

व डायरियां मेरे खाली भुखण्ड में रख देते है तथा गैस ऐजेन्सी से आने वाली गाडी से भरे सिलेण्डर रखते हुये खाली सिलेण्डर भुखण्ड से ले जाते है और गांव वाले अपी सुविधा के अनुसार समय मिलने पर मेरे खाली भुखण्ड से रखे अपने–अपने सिलेण्डर अपने घर ले जाते है। उसी दरम्यान दिनांक 23.09.2024 को श्रीमान रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय डीडवाना–कुचामन की टीम ने यह कहते हुए सिलेण्डर अवैध रूप से काम लिये जा रहे है ऐसा कहते हुये मेरे भुखण्ड में गांव वालों के रखे बीस खाली सिलेण्डर व पांच भरे सिलेण्डर जब्त कर लिये गये। जबकि मेरे उक्त खाली व भरे हुए पच्चीस गैस सिलेण्डर मेरे भुखण्ड में गांव वालों द्वारा अपनी सुविधानुसार ही रखे हुए थे जिनका अवैध रूप से कोई उपयोग नहीं लिया जा रहा था। अतः उक्त सभी पच्चीस गैस सिलेण्डर प्रार्थी को सुपुर्द करने हेतु संबंधित अधिकारी के नाम तहरीर जारी करें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि होटल संचालक श्री कुलदीप शर्मा के घर पर 25 घरेलु गैस सिलेण्डर प्राप्त हुए। श्री कुलदीप शर्मा के पास जांच के समय किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाए गए व कुलदीप शर्मा ने आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं करने पर 25 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किये गये। जब्त किये गये सिलेण्डर मौलासर गैस ऐजेन्सी के प्रतिनिधि श्री अनुपसिंह को प्रकरण में निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किये गये। अतः प्रकरण में जब्तसुदा घरेल गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत समपहरण (Confisacation) के आदेश प्रदान करावें।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया किया कि अप्रार्थी का रहवासी मकान व खुली जायगा ग्राम बांसा में ही अवस्थित है मेरा मकान व खुली जायगा ग्राम बांसा की आबादी के मध्य अवस्थित होने के कारण गांव वाले अपनी सुविधा के अनुसार अपने–अपने खाली गैस सिलेण्डर व डायरियां मेरे खाली भुखण्ड में रख देते है तथा गैस ऐजेन्सी से आने वाली गाडी से भरे सिलेण्डर रखते हुये खाली सिलेण्डर भुखण्ड से ले जाते है और गांव वाले अपी सुविधा के अनुसार समय मिलने पर मेरे खाली भुखण्ड से रखे अपने–अपने सिलेण्डर अपने घर ले जाते है। उसी दरम्यान दिनांक 23.09.2024 को श्रीमान रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय डीडवाना–कुचामन की टीम ने यह कहते हुए सिलेण्डर अवैध रूप से काम लिये जा रहे है ऐसा कहते हुये मेरे भुखण्ड में गांव वालों के रखे बीस खाली सिलेण्डर व पांच भरे सिलेण्डर जब्त कर लिये गये। जबकि मेरे उक्त खाली व भरे हुए पच्चीस गैस सिलेण्डर मेरे भुखण्ड में गांव वालों द्वारा अपनी सुविधानुसार ही रखे हुए थे जिनका अवैध रूप से कोई उपयोग नहीं लिया जा रहा था। अतः उक्त सभी पच्चीस गैस सिलेण्डर प्रार्थी को सुपुर्द करने हेतु संबंधित अधिकारी के नाम तहरीर जारी करें।

बहस के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 25 घरेलु गैस सिलेण्डर पाए गए। जांच के समय कुलदीप शर्मा के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलु गैस

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:24:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में 25 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का समपहरण (Confisacation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 25 घेरलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.11.202424 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सैन, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:24:25 IST
Reason: SelfAttested